**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2513**

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

**दहेज प्रतिषेध अधिनियम**

2513. **श्री टी. आर. बालू:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में औसतन प्रतिदिन 20 महिलाएं दहेज उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा क्या निवारक/दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान दहेज हत्याओं और उत्पीड़न के लिए दंडित किए गए दोषियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक कठोर बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (घ):** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) महिलाओं के प्रति अपराध सहित अन्य अपराधों पर आंकड़ा संकलित करता है और अपने प्रकाशन "भारत में अपराध"(क्राइम इन इंडिया) में प्रकाशित करता है, जो कि एनसीआरबी की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 202 तक की उपलब्ध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-2023 के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले, आरोप पत्र दाखिल मामले, दोषी ठहराए गए मामले, गिरफ्तार व्यक्ति, आरोप पत्र दायर व्यक्ति और दोषी ठहराए गए मामलों की विवरण की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-2023 के दौरान दहेज के लिए हत्या (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 ख) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले, पीड़ितों की संख्या, आरोप पत्र दाखिल मामले, दोषी ठहराए गए मामले, गिरफ्तार व्यक्ति, आरोप पत्र दायर व्यक्ति और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

“पुलिस “और “लोक व्यवस्था” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून -व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जिसमें दहेज़ के मामलें एवं दहेज़ के लिए हत्या की जांच एवं अभियोजन भी शामिल है,की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दहेज की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यह अधिनियम दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है और इसके लिए दंड का प्रावधान करता है ताकि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाया जा सके। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 दहेज उत्पीड़न को घरेलू हिंसा के दायरे में परिभाषित करता है और इसके तहत सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदेश इत्यादि जैसे उपाय (रेमेडी) प्रदान करता है।

केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध कार्यकलाप  किए हैं। इनमें "भारतीय न्याय संहिता", "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता", "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006", "दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961", जैसे कानून शामिल हैं। इन कानूनी प्रावधानों के अलावा सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है; जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण इत्यादि  शामिल हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना, जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है । यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित कई तरह की सेवाएं भी प्रदान करता है। देश भर में 896 ओएससी  कार्यशील हैं और दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक 12.88 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र बिंदु होते हैं, 14,658 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13,011 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं। जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है जिसमें  क्षेत्र/पुलिस संसाधनों का  कंप्यूटर की सहायता से  प्रेषण शामिल  है। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने वाली विशिष्ट महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल -181) कार्यशील है। डब्ल्यूएचएल को भी ईआरएसएस के साथ भी एकीकृत किया गया है। महिला हेल्पलाइनों ने  31 दिसम्बर, 2025 तक 96.37 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने "पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है जिनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार महत्वपूर्ण घटकों अर्थात बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया है । महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और जांच के लिए "महिला सुरक्षा और संरक्षा-पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई हैं जिसका उद्देश्य यौन हिंसा अपराध के विशिष्ट संदर्भ में जाँच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ समुचित  बातचीत के लिए पुलिस बल में उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी ने  संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का लैंगिक संवेदीकरण इत्यादि विषय पर वेबिनार भी आयोजित किए हैं।

मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्यों में उनके जैसे संस्थानों  के माध्यम से दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाने सहित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श जारी किए हैं।

महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है, जो मुफ़्त कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एकल-खिड़की सुविधा है। 17 राज्यों में ऐसे ही कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

इसके अलावा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा महिला हेल्पलाइन को कार्यान्वित  करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों  में कॉल की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड प्राप्त कॉल और सहायता प्राप्त महिलाओं की तात्कालिक निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली के माध्यम से, केंद्र सरकार भारत भर में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पर केंद्रीकृत डेटा रख पाएगी, जिसे घरेलू हिंसा के मामलों सहित मामलों के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम’ विषय पर श्री टी. आर. बालू द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2513 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक**

वर्ष 2021-2023 के दौरान ‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961’ के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामले (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दायर व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्ति (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

| **2021** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सीआर** | **सीसीएस** | **सीओएन** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 11 | 246 | 0 | 456 | 2576 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 582 | 338 | 1 | 700 | 435 | 1 |
| 4 | बिहार | 3362 | 2364 | 44 | 2837 | 3831 | 60 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 8 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 18 | 9 | 0 | 26 | 18 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | झारखंड | 1805 | 1293 | 82 | 1687 | 1735 | 91 |
| 11 | कर्नाटक | 1845 | 1806 | 29 | 4867 | 5264 | 52 |
| 12 | केरल | 39 | 21 | 0 | 46 | 31 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 44 | 45 | 33 | 45 | 121 | 44 |
| 14 | महाराष्ट्र | 40 | 23 | 0 | 18 | 53 | 0 |
| 15 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ओडिशा | 465 | 406 | 0 | 159 | 535 | 0 |
| 20 | पंजाब | 14 | 4 | 1 | 38 | 5 | 1 |
| 21 | राजस्थान | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 281 | 156 | 5 | 695 | 439 | 17 |
| 24 | तेलंगाना | 5 | 5 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 4594 | 3720 | 317 | 9529 | 15167 | 1267 |
| 27 | उत्तराखंड | 414 | 238 | 0 | 80 | 472 | 0 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल राज्य** | **13534** | **10684** | **513** | **21224** | **30724** | **1535** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 16 | 13 | 0 | 34 | 27 | 0 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 13 | 2 | 0 | 46 | 9 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **34** | **19** | **0** | **93** | **48** | **0** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **13568** | **10703** | **513** | **21317** | **30772** | **1535** |

| 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सीआर** | **सीसीएस** | **सीओएन** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 298 | 308 | 4 | 1239 | 1281 | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 272 | 285 | 0 | 423 | 373 | 0 |
| 4 | बिहार | 3580 | 3711 | 43 | 4974 | 5281 | 58 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 9 | 7 | 2 | 16 | 16 | 8 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 17 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | झारखंड | 1796 | 1498 | 126 | 2005 | 2017 | 153 |
| 11 | कर्नाटक | 2224 | 1734 | 7 | 5392 | 5484 | 11 |
| 12 | केरल | 28 | 39 | 0 | 65 | 61 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 63 | 60 | 246 | 36 | 177 | 269 |
| 14 | महाराष्ट्र | 28 | 38 | 0 | 43 | 64 | 0 |
| 15 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मेघालय | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 34 | 31 | 4 | 1 | 51 | 4 |
| 20 | पंजाब | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 21 | राजस्थान | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 220 | 197 | 2 | 836 | 658 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | तेलंगाना | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 4807 | 4565 | 1413 | 8060 | 16577 | 2651 |
| 27 | उत्तराखंड | 38 | 29 | 0 | 4 | 125 | 0 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल राज्य** | **13437** | **12520** | **1847** | **23113** | **32191** | **3172** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 18 | 8 | 0 | 43 | 23 | 0 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 17 | 13 | 0 | 46 | 45 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 7 | 6 | 0 | 32 | 13 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **42** | **27** | **0** | **121** | **81** | **0** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **13479** | **12547** | **1847** | **23234** | **32272** | **3172** |

| **2023** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सीआर** | **सीसीएस** | **सीओएन** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 353 | 194 | 0 | 58 | 675 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 162 | 154 | 0 | 207 | 178 | 0 |
| 4 | बिहार | 3665 | 3385 | 126 | 4362 | 5236 | 206 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 8 | 7 | 1 | 21 | 21 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 14 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | झारखंड | 1487 | 1595 | 271 | 1965 | 2405 | 300 |
| 11 | कर्नाटक | 2322 | 2113 | 8 | 5697 | 5837 | 16 |
| 12 | केरल | 21 | 15 | 0 | 24 | 27 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 65 | 60 | 3 | 15 | 191 | 3 |
| 14 | महाराष्ट्र | 17 | 17 | 0 | 10 | 41 | 0 |
| 15 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मेघालय | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 5 | 5 | 5 | 0 | 426 | 5 |
| 20 | पंजाब | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 21 | राजस्थान | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 144 | 158 | 3 | 586 | 334 | 8 |
| 24 | तेलंगाना | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 7151 | 6112 | 628 | 14054 | 26047 | 1110 |
| 27 | उत्तराखंड | 14 | 11 | 6 | 3 | 31 | 9 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल राज्य** | **15444** | **13850** | **1054** | **27032** | **41502** | **1664** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 16 | 21 | 1 | 37 | 37 | 4 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 15 | 13 | 0 | 35 | 34 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 14 | 8 | 0 | 50 | 31 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **45** | **43** | **1** | **122** | **103** | **4** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **15489** | **13893** | **1055** | **27154** | **41605** | **1668** |

**अनुलग्नक- II**

**‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम’ के संबंध में श्री टी. आर. बालू द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2513 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक**

वर्ष 2021-2023 के दौरान दहेज के लिए हत्या (धारा 304 ख आईपीसी) के तहत दर्ज मामलों (सीआर), पीड़ितों की संख्या (वीआईसी), आरोप पत्र दाखिल मामलों (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामलों (कॉन), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), आरोप पत्र दायर व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

| | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सीआर** | **पीड़ित** | **सीसीएस** | **सीओएन** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 108 | 109 | 159 | 9 | 354 | 416 | 20 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 198 | 198 | 164 | 1 | 323 | 168 | 1 |
| 4 | बिहार | 1000 | 1000 | 931 | 128 | 1678 | 1420 | 149 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 65 | 65 | 66 | 11 | 190 | 190 | 21 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 11 | 11 | 10 | 1 | 31 | 31 | 2 |
| 8 | हरियाणा | 275 | 275 | 220 | 16 | 367 | 362 | 26 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | झारखंड | 281 | 281 | 229 | 47 | 326 | 321 | 52 |
| 11 | कर्नाटक | 158 | 163 | 175 | 14 | 411 | 411 | 36 |
| 12 | केरल | 9 | 9 | 9 | 0 | 22 | 11 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 522 | 523 | 509 | 136 | 1516 | 1495 | 337 |
| 14 | महाराष्ट्र | 172 | 172 | 188 | 8 | 695 | 590 | 25 |
| 15 | मणिपुर | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ओडिशा | 293 | 293 | 352 | 5 | 599 | 646 | 5 |
| 20 | पंजाब | 69 | 69 | 53 | 11 | 182 | 127 | 24 |
| 21 | राजस्थान | 452 | 454 | 341 | 98 | 466 | 454 | 132 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 27 | 27 | 21 | 12 | 67 | 52 | 23 |
| 24 | तेलंगाना | 175 | 175 | 178 | 7 | 450 | 403 | 15 |
| 25 | त्रिपुरा | 22 | 22 | 32 | 3 | 71 | 62 | 3 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 2222 | 2235 | 1886 | 439 | 6073 | 5202 | 1063 |
| 27 | उत्तराखंड | 72 | 72 | 55 | 6 | 106 | 91 | 10 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 454 | 471 | 490 | 5 | 721 | 900 | 10 |
| | **कुल राज्य** | **6589** | **6628** | **6069** | **957** | **14651** | **13354** | **1954** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 141 | 144 | 122 | 6 | 279 | 230 | 13 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 16 | 16 | 14 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **164** | **167** | **140** | **7** | **328** | **276** | **15** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **6753** | **6795** | **6209** | **964** | **14979** | **13630** | **1969** |

| | 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सीआर | पीड़ित | सीसीएस | सीओएन | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 100 | 101 | 107 | 8 | 352 | 292 | 15 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 175 | 195 | 222 | 7 | 409 | 276 | 9 |
| 4 | बिहार | 1057 | 1057 | 1100 | 89 | 1787 | 2391 | 128 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 57 | 63 | 56 | 27 | 163 | 156 | 70 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 234 | 234 | 173 | 20 | 265 | 238 | 32 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | झारखंड | 208 | 214 | 191 | 61 | 299 | 312 | 77 |
| 11 | कर्नाटक | 165 | 166 | 134 | 1 | 343 | 311 | 6 |
| 12 | केरल | 11 | 12 | 16 | 1 | 36 | 32 | 1 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 518 | 520 | 513 | 185 | 1310 | 1314 | 403 |
| 14 | महाराष्ट्र | 180 | 184 | 171 | 7 | 652 | 459 | 11 |
| 15 | मणिपुर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | मेघालय | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 263 | 263 | 276 | 19 | 280 | 576 | 23 |
| 20 | पंजाब | 71 | 71 | 61 | 4 | 146 | 143 | 10 |
| 21 | राजस्थान | 451 | 451 | 300 | 66 | 401 | 396 | 93 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 29 | 29 | 25 | 6 | 74 | 58 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | तेलंगाना | 137 | 137 | 186 | 24 | 414 | 387 | 53 |
| 25 | त्रिपुरा | 25 | 25 | 28 | 1 | 50 | 61 | 1 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 2138 | 2142 | 1946 | 686 | 6076 | 5307 | 1608 |
| 27 | उत्तराखंड | 70 | 70 | 65 | 3 | 116 | 112 | 12 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 406 | 427 | 421 | 14 | 682 | 790 | 26 |
| | **कुल राज्य** | **6307** | **6373** | **6000** | **1229** | **13887** | **13640** | **2587** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 131 | 131 | 144 | 1 | 300 | 245 | 1 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 9 | 9 | 10 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **143** | **143** | **161** | **2** | **345** | **300** | **4** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **6450** | **6516** | **6161** | **1231** | **14232** | **13940** | **2591** |

| | **2023** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सीआर** | **पीड़ित** | **सीसीएस** | **सीओएन** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 95 | 96 | 89 | 17 | 296 | 255 | 37 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 101 | 107 | 130 | 7 | 223 | 186 | 7 |
| 4 | बिहार | 1143 | 1143 | 1198 | 73 | 2362 | 2297 | 107 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 46 | 49 | 50 | 13 | 144 | 140 | 39 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | गोवा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 12 | 12 | 12 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 207 | 211 | 156 | 21 | 225 | 219 | 30 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | झारखंड | 218 | 228 | 230 | 92 | 316 | 385 | 98 |
| 11 | कर्नाटक | 156 | 160 | 159 | 6 | 407 | 394 | 9 |
| 12 | केरल | 8 | 8 | 10 | 0 | 13 | 16 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 468 | 469 | 437 | 193 | 1235 | 1244 | 450 |
| 14 | महाराष्ट्र | 170 | 173 | 159 | 7 | 508 | 414 | 21 |
| 15 | मणिपुर | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | मेघालय | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 231 | 231 | 218 | 18 | 229 | 533 | 26 |
| 20 | पंजाब | 44 | 44 | 48 | 6 | 127 | 95 | 14 |
| 21 | राजस्थान | 428 | 430 | 272 | 60 | 337 | 336 | 90 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 11 | 11 | 23 | 8 | 34 | 36 | 12 |
| 24 | तेलंगाना | 145 | 147 | 155 | 26 | 438 | 369 | 53 |
| 25 | त्रिपुरा | 21 | 21 | 28 | 5 | 55 | 55 | 8 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 2122 | 2141 | 1953 | 887 | 5500 | 5175 | 2086 |
| 27 | उत्तराखंड | 48 | 48 | 46 | 25 | 49 | 92 | 39 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 350 | 350 | 371 | 8 | 597 | 1006 | 24 |
| | **कुल राज्य** | **6027** | **6082** | **5746** | **1473** | **13139** | **13286** | **3151** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव+ | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 32 | दिल्ली | 115 | 115 | 131 | 26 | 269 | 210 | 49 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 9 | 9 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **129** | **129** | **142** | **28** | **297** | **232** | **51** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **6156** | **6211** | **5888** | **1501** | **13436** | **13518** | **3202** |

*****